कार्यालय पंजीयक सहकारी समितियॉं
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
पुरानी कचहरी परिसर, संसद मार्ग,
नई दिल्ली–110001
सहकारिता विभाग

संख्या एफ/47/आरसीएस/वि.स. अतां 252/समन्वय/2012–13/ दिनांक:

सेवा में,

श्री लाल मणी,
उप–सचिव (प्र.)
दिल्ली विधानसभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली– 54

विषय– विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 252 दिनांक– 20/03/2013 के संदर्भ में ।

महोदय,

आपके पत्र संख्या संख्या एफ/11(बी–1)/VI/2012-13/वि.स.स./प्र.शा./1200 दिनांक– 05.03.2013 के संदर्भ में माननीय विधायक श्री ओ.पी. बब्बर द्वारा पूछे गए प्रश्न जो दिनांक 20.03.2013 के लिए निर्धारित है के उत्तर की 25 प्रतियां आपकी सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है ।

भवदीय

(नवीन कटारिया)
उप पंजीयक– समन्वय

संख्या एफ/47/आरसीएस/वि.स. अतां 252/समन्वय/2012–13/542 दिनांक: 19/3/13
प्रतिलिपि–

1557/CC
20/03/13

1. निदेशक, सूचना एवं प्रसार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली को 200 प्रतियां ।
2. सचिव, माननीय मंत्री (सहकारिता) दिल्ली विधान सभा, दिल्ली को 2 प्रतियां
3. प्रोग्राम (कम्प्यूटर शाखा) सहकारिता विभाग, दिल्ली सरकार को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु ।
4. कार्यालय प्रति ।

नवीन कटारिया

(नवीन कटारिया)
उप पंजीयक– समन्वय

Programmer (Comp cell) 20/03/2013
Pl. upload

कार्यालय पंजीयक सहकारी समितियाँ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
पुरानी कचहरी परिसर, संसद मार्ग,
नई दिल्ली
सहकारिता विभाग

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या– 252 दिनांक– 20.03.2013

प्रश्नकर्ता– श्री ओ. पी. बब्बर

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

प्रश्न		उत्तर
क	अब तक डी डी ए द्वारा कुल कितनी पंजीकृत ग्रुप हाउंसिंग सोसायटीज को घर बनाने के लिए जमीन आवंटित की गयी है,	डी डी ए द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार लगभग 934 ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज को घर बनाने के लिए जमीन आबंटित की गयी है ।
ख	कितनी और ग्रुप हाउंसिंग सोसायटीज को घर बनाने के लिए जमीन आवंटित की जानी है, और	पंजीयक सहकारी समितियाँ विभाग में कुल 1971 ग्रुप हाउसिंग सहकारी समितियाँ पंजीकृत है । डी डी ए द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार डी डी ए में भूमि आवंटन का कोई भी अनुमोदन लम्बित नहीं है ।
ग	बाकी की ग्रुप हाउंसिंग सोसायटीज को भूमि आवंटित करने में कुल कितना समय लगेगा ?	ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में भूमि आवंटन करने के लिए दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम एवं नियम मे प्रदत्त प्रावधानों की प्रकिया पूरी होने के पश्चात सोसायटियों का नाम भूमि आवंटन के लिए अनुमोदित कर डी डी ए को भेज दिया जाता है। अतः इस संदर्भ में कोई समय सीमा निश्चित करना सम्भव नहीं है ।